न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः–23/2019 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–भादरा, न्यू हिसार बस स्टैण्ड जरिये मुख्य प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कार्यालय नई धानमण्डी हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ।
------प्रार्थी

बनाम

1. श्री जुम्मा खान पुत्र सफी मोहम्मद फकीर गांव वार्ड नम्बर 22, भादरा तहसील भादरा।
---ऋणी/अप्रार्थी

2. श्री भीमराज पुत्र महावीर प्रसाद सैनी वार्ड नम्बर 23, गणेशपुरा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
---जमानतदार/अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (जिसे आगे एक्ट से संबोधित किया गया है) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी का कब्जा लेकर बैंक को सुपुर्द कराने के संबंध में।

आदेश

दिनांकः–31.10.2019

सत्यमेव जयते
eCD Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा भादरा की ओर से मुख्य प्रबन्धक शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ़ द्वारा इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को 8,50,000/–रूपये (अंखरे आठ लाख पचास हजार रूपये) की ऋण सुविधा दिनांक 21.07.2015 को उपलब्ध करवाई थी। ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में बैंक को गारन्टी के रूप में साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो वार्ड नम्बर 22 कब्रिस्तान के पीछे भादरा जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल (18′ X 37′) है जो श्री जुम्मा खान पुत्र सफी मोहम्मद फकीर गांव वार्ड नम्बर 22, भादरा के नाम से है जिसको साम्यिक रूप से बैंक के हक में बंधक किया था।

ऋणी द्वारा बैंक को ऋण नियमानुसार नही चुकाने के कारण बैंक द्वारा ऋणी का ऋण खाता दिनांक 31.12.2018 को एनपीए कर दिया।

ऋणी का ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ोदा द्वारा ऋणी एवं जमानतदार को दिनांक 14.01.2019 को बकाया ऋण राशि की मांग हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। ऋणी व जमानतदार को नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर 6,79,672.00/–रूपये ऋण राशि दिनांक 31.12.2018 तक एवं खर्चे तथा आगे का ब्याज जमा कराना था। ऋणी व जमानतदार द्वारा नोटिस के पश्चात भी ऋण मय ब्याज व खर्चे बैंक में जमा नही करवाये गये। इसलिए बैंक द्वारा उक्त बन्धकित सम्पति को विक्रय किया जाना है। प्रार्थी बैंक को बन्धकित सम्पति का कब्जा लेने के लिये पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अनुसार उक्त वर्णित बन्धकित सम्पति से संबंधित दस्तावेजात का कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा को दिलवाने जाने हेतु पुलिस इमदाद के आदेश फरमाया जावे।

बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी द्वारा बैंक ऑफ बडौदा को ऋण राशि का भुगतान समय पर करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत ऋणी व जमानतदार को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाना पाया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण का भुगतान बैंक ऑफ बड़ौदा को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforoement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा बैंक ऑफ बडौदा के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी व जमानतदार द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में बैंक ऑफ बडौदा के पास बन्धक शुदा सम्पति साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो वार्ड नम्बर 22 कब्रिस्तान के पीछे भादरा जिला हनुमानगढ पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल (18' x 37') है जो श्री जुम्मा खान पुत्र सफी मोहम्मद फकीर गांव वार्ड नम्बर 22, भादरा के नाम से अभिलेख मे दर्ज है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से बैंक ऑफ बडौदा को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु बैंक ऑफ बडौदा द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व बैंक ऑफ बडौदा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ
हनुमानगढ़